

कार्यवाही विवरण

9.10.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
वादी अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा कत-कत कर कड़ेवा
अज्ञान लगवाते गर्दी बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्त
तक कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। वादी लम्बे समय से अनुपस्थित
हो जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रतिगंभीर
नहीं हैं तथा अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम
हाजरी-अदम पेशी में बरिज किया जाता है। निर्णय करे -
इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजदारी नम्बर
से कम है।



(शिया डबी)
IAS